कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 228/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 15.06.2026

प्रेस नोट

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

दिनांक : 15.06.2026

जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक 08.06.2026 को वादिनी श्रीमती सुशीला देवी पत्नी राधेश्याम निवासी ग्राम चौकिया थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 07.06.2026 की रात्रि लगभग 08:00 बजे उनका पुत्र घर से घूमने के लिए निकला था, जो रात्रि में वापस नहीं लौटा। अगले दिन प्रातः लगभग 06:00 बजे वह गांव के बाहर ट्यूबवेल के पास खड़ंजा मार्ग के किनारे अचेत अवस्था में मिला, जिसके सिर, चेहरे एवं गले पर गंभीर चोटों के निशान थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 142/2026 धारा 109(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं प्राप्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त 1. हर्ष सिंह पुत्र प्रदीप कुमार सिंह निवासी ग्राम लारपुर गौहर थाना पवई जनपद आजमगढ़, 2. ओम सिंह पुत्र रवीन्द्र सिंह निवासी अर्गूपुर कला थाना शाहगंज जनपद जौनपुर तथा 3. सक्षम सिंह पुत्र अशोक विक्रम सिंह निवासी छबवा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 15.06.2026 को निरीक्षक अपराध श्री शम्भूनाथ यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम बागबहार पुलिया के पास से अभियुक्तों 1. हर्ष सिंह पुत्र प्रदीप कुमार सिंह निवासी ग्राम लारपुर गौहर थाना पवई जनपद आजमगढ़, 2. ओम सिंह पुत्र रवीन्द्र सिंह निवासी अर्गूपुर कला थाना शाहगंज जनपद जौनपुर तथा 3. सक्षम सिंह पुत्र अशोक विक्रम सिंह निवासी छबवा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर को प्रातः लगभग 07:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि घटना की रात्रि वे मोटरसाइकिल से शाहगंज क्षेत्र से होते हुए ग्राम चौकिया के समीप पहुंचे थे। वहां एक व्यक्ति नशे की हालत में सड़क के बीच खड़ा था। हॉर्न देने के बावजूद रास्ते से न हटने तथा बाद में विवाद होने पर तीनों ने मिलकर उक्त व्यक्ति की लात-घूंसों, जूतों एवं चप्पलों से बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान वह व्यक्ति बेहोश हो गया। अभियुक्तों को लगा कि उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके बाद पहचान छिपाने एवं बचने के उद्देश्य से उसके कपड़े उतारकर घटनास्थल पर छोड़ दिया तथा कपड़ों को अपने साथ ले जाकर रास्ते में फेंक दिया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना से संबंधित पैंट, जूते, बेल्ट एवं अन्य सामान बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हर्ष सिंह पुत्र प्रदीप कुमार सिंह निवासी ग्राम लारपुर गौहर थाना पवई जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष।
2. ओम सिंह पुत्र रवीन्द्र सिंह निवासी अर्गूपुर कला थाना शाहगंज जनपद जौनपुर, उम्र लगभग 20 वर्ष।
3. सक्षम सिंह पुत्र अशोक विक्रम सिंह निवासी छबवा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर, उम्र लगभग 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 142/2026 धारा 109(1) बीएनएस, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- निरीक्षक अपराध श्री शम्भूनाथ यादव, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
- उ0नि0 संतोष यादव, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
- उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
- व0उ0नि0 गोपाल जी, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
- का0 सुमित यादव, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
- का0 अनिल कुमार, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
- का0 बीरेन्द्र यादव, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट

पुलिस कार्यालय, जनपद आजमगढ़

दिनांक : 15.06.2026

□उप-निरीक्षक संजय कुमार सिंह निरीक्षक पद पर पदोन्नत □

जनपद आजमगढ़ पुलिस के लिए गर्व एवं प्रसन्नता का विषय है कि जनपद में तैनात उप-निरीक्षक **श्री संजय कुमार सिंह** को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा **निरीक्षक पद पर पदोन्नत** किया गया है।

इस अवसर पर पुलिस कार्यालय, आजमगढ़ में आयोजित एक गरिमामय समारोह में **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार** ने श्री संजय कुमार सिंह के कंधों पर निरीक्षक पद के स्टार लगाकर उन्हें नई जिम्मेदारियों हेतु शुभकामनाएं प्रदान कीं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि पदोन्नति उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्यनिष्ठा एवं समर्पण का सम्मान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निरीक्षक संजय कुमार सिंह भविष्य में भी अपनी कार्यकुशलता, ईमानदारी एवं अनुशासित कार्यशैली से विभाग एवं जनपद का गौरव बढ़ाते रहेंगे।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे तथा पदोन्नति प्राप्त अधिकारी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

जनपद आजमगढ़ पुलिस परिवार द्वारा निरीक्षक संजय कुमार सिंह को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।

प्रेस नोट
थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
दिनांक : 15.06.2026

फर्जी अभिलेखों के सहारे शासकीय अनुदान हड़पने के मामले में कार्रवाई

मदरसा गबन प्रकरण की वांछित महिला अभियुक्ता पुलिस गिरफ्त में

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतरौलिया पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। **फर्जी अभिलेख तैयार कर शासकीय धनराशि/अनुदान के गबन से संबंधित मुकदमे में वांछित महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार** कर विधिक कार्यवाही की गई है।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.03.2025 को वादी मुकदमा श्री कुँवर ब्रम्ह प्रकाश सिंह, निरीक्षक, राज्य विशेष अनुसंधान दल (ईओडब्ल्यू), मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा थाना अतरौलिया पर प्रार्थना पत्र एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच में मदरसा फैजेकौशर निस्बां, रूकुमलपुर, अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ के प्रबंधक एवं शिक्षकों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उन्हें वास्तविक अभिलेखों के रूप में प्रयोग करते हुए फर्जी तरीके से शासकीय धनराशि/अनुदान प्राप्त कर गबन करने के तथ्य प्रकाश में आए। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 0095/2025 धारा 409/420/467/468/471 भादवि बनाम रियाज अहमद, किरन पाल, रेनू यादव एवं अनवार अहमद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक विश्राम गुप्ता द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 15.06.2026 को उपनिरीक्षक विश्राम गुप्ता मय पुलिस टीम अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता **रेनू यादव पत्नी राकेश कुमार यादव** निवासी बनकटा बुजुर्ग थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर, हाल पता मल्लुपुर मझगांवा थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर को उसके आवास से समय करीब 08:30 बजे विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

01. रेनू यादव पत्नी राकेश कुमार यादव, निवासी- बनकटा बुजुर्ग थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर हाल पता- मल्लुपुर मझगांवा थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर , उम्र- लगभग 35 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 0095/2025 धारा 409/420/467/468/471 भादवि, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विश्राम गुप्ता, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
2. का0 सुशील कुमार, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
3. म0का0 निधि मिश्रा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 रंजना सरोज, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

➡ आजमगढ़ पुलिस भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी एवं शासकीय धनराशि के दुरुपयोग से जुड़े अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी एवं विधिसम्मत कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

प्रेस नोट दिनांक 15.06.2026
परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/ऑपरेशन नई किरण, जनपद आजमगढ़

□ ऑपरेशन नई किरण के तहत एक बिखरे परिवार को पुनः मिलाया गया
□ परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की बैठक में 06 प्रकरणों की सुनवाई, 02 प्रकरण का सफल निस्तारण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 15.06.2026 को थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/ऑपरेशन नई किरण की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कुल 06 पत्रावलियों में पक्षकारों को नोटिस एवं दूरभाष के माध्यम से मिडिएशन हेतु बुलाया गया, जिनमें से 02 प्रकरणों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। विस्तृत काउंसलिंग एवं समझाइश के उपरांत 02 प्रकरण में विवाद का सौहार्दपूर्ण निस्तारण कराते हुए समझौता कराया गया तथा परिवार को पुनः एकजुट किया गया।
प्रथम प्रकरण आवेदिका के पति द्वारा अपने माता-पिता के बहकावे में आकर आवेदिका से साथ मार-पीट कर जान से मारने की धमकी देना व द्वितीय प्रकरण आवेदिका के पति व ससुराल वालों द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से आवेदिका को प्रताड़ित करना तथा बाल घसीटकर घर से भगा देना प्रार्थना पत्र में अंकित था।
उक्त प्रकरणों में काउंसलरों द्वारा दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने के पश्चात आपसी सहमति से समझौता कराया गया।
ऑपरेशन नई किरण का उद्देश्य बिखरे हुए परिवारों को पुनः जोड़ना, वैवाहिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराना तथा पारिवारिक संबंधों में विश्वास एवं सामंजस्य स्थापित करना है।
सफल समझौता-
1- प्रिया कुमारी पुत्री जनक ग्राम-हथौटा, थाना-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़।
2- नीलम कुमारी पत्नी पवन कुमार ग्राम-खटौली, थाना-तहबरपुर, जनपद -आजमगढ़।
काउंसलिंग टीम-
उ0नि0 सत्यनारायण यादव, उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह।
कुल समझौते - 02

प्रेस नोट, दिनांक 15.06.2026
थाना निजामाबाद, जनपद- आजमगढ़।

• सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति और दबंगई दिखाने वालों पर निजामाबाद पुलिस की सख्त नजर, "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत कार्रवाई।
• इंस्टाग्राम आईडी बनाकर झुंड में भ्रमण करने वाले युवकों की काउंसलिंग, अभिभावकों को दी गई सख्त हिदायत।
• सोशल मीडिया के दुरुपयोग एवं भय का माहौल बनाने वालों के विरुद्ध पुलिस की कठोर चेतावनी, एवं दो बाइक सीज।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा **"ऑपरेशन वज्रपात"** के क्रम में क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

➡ अभियान के दौरान यह संज्ञान में आया कि कुछ युवक सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर झुंड में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जिससे आमजनमानस में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

➡ **जांच के दौरान निम्न इंस्टाग्राम आईडी एवं सदस्य चिन्हित किए गए-**

1. Instagram ID – "mr_jai_7177,, व
सदस्य –आशीष चौहान पुत्र बार्केलाल निवासी सालेपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष
2. Instagram ID – ""mr_jai_7177,,
सदस्य – कृष्णा चौहान पुत्र मनोज निवासी सालेपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष
3. Instagram ID – ""mr_jai_7177,,
सदस्य – विकास चौहान पुत्र राजू चौहान निवासी सालेपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष

➡ थाना पुलिस द्वारा से उपरोक्त इंस्टाग्राम से जुड़े नाबालिग युवकों को चिन्हित कर थाना परिसर में उनके अभिभावकों एवं बाल कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में बुलाया गया। इस दौरान उन्हें कानून व्यवस्था, यातायात नियमों एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

➡ वहीं, instagram ID "mr_jai_7177,, के सदस्य आशीष चौहान पुत्र बार्केलाल निवासी सालेपुर उम्र करीब 20 वर्ष व कृष्णा चौहान पुत्र मनोज निवासी सालेपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष के विरुद्ध धारा 126/135/170 बीएनएस के अंतर्गत चालान की कार्यवाही की गई।

साइबर टीम- उ0नि 0दिलीप आनन्द, उ0नि0 मयंक कृष्ण उपाध्याय, का0 राकेश यादव, का0 संदेश सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक 15.06.2026
थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

फर्जी जमानतदार गिरोह पर आजमगढ़ पुलिस का बड़ा प्रहार, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई

जघन्य अपराधियों को फर्जी जमानत दिलाने वाले गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

संगठित जमानत फर्जीवाड़ा गिरोह पर आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंग चार्ट अनुमोदित

न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले फर्जी जमानतदार गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

जनपद आजमगढ़ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कूटरचित अभिलेखों के माध्यम से जघन्य अपराधों में निरुद्ध अभियुक्तों की जमानत कराने वाले संगठित गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

दिनांक 30.05.2026 को उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप, चौकी प्रभारी कचहरी, थाना कोतवाली नगर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी गयी कि कुछ तथाकथित वकील एवं जमानतदार अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से डकैती, लूट, हत्या, चोरी, नकबजनी, गैंगस्टर एक्ट तथा अवैध शस्त्र जैसे जघन्य अपराधों में

न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध अभियुक्तों से मिलीभगत कर कूटरचित अभिलेखों के आधार पर एक ही जमानतदार द्वारा कई अभियुक्तों की जमानतें एक ही प्रपत्र से करा रहे हैं। जांच के दौरान यह एक संगठित गिरोह के रूप में कार्यरत पाया गया।
उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-267/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 111, 61(2) बीएनएस बनाम 1. रामचन्द्र यादव उर्फ मैकू पुत्र स्व0 कन्हैया यादव निवासी भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ एवं 2. दयाराम पुत्र जानकी प्रसाद निवासी रामपुर कला थाना कोतवाली टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर पंजीकृत किया गया।
विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि उक्त गिरोह आर्थिक, भौतिक एवं अन्य अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर फर्जी जमानतें कराने का कार्य करता है। इस प्रकार की गतिविधियों से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने के साथ-साथ आम जनमानस में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही थी।
प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा गैंग चार्ट तैयार कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रेषित किया गया। **दिनांक 15.06.2026 को जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा संयुक्त बैठक में गैंग चार्ट का अनुमोदित** किया गया।

जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरांत **दिनांक 15.06.2026 को थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-316/2026 धारा 2(b)(i), 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत अभियुक्तगण रामचन्द्र यादव उर्फ मैकू एवं दयाराम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों अभियुक्त वर्तमान में जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध हैं।

अभियुक्त का नाम पता-
1. रामचन्द्र यादवउर्फ मैकू पुत्र स्व कन्हैया यादव नि0 भरौली थाना जीयनपुर आजमगढ ।
2.दयाराम पुत्र जानकी प्रसाद निवासी रामपुर कला थाना कोतवाली टाण्डा अम्बेडकरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 316/2026 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

1. रामचन्द्र यादवउर्फ मैकू पुत्र स्व कन्हैया यादव नि0 भरौली थाना जीयनपुर आजमगढ

1. मु0अ0सं267 0/ 2026धारा -319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं77 0/ 2026धारा -2(b)(i)/3(1)उ0प्र 0गैंगे0अधि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं106 0/ 2021धारा -379/411/413/414/467/468/471 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं107 0/ 2021धारा -411/413/414/467/468/471 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं108 0/ 2021धारा -3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं76 0/ 2019धारा -379/411 भादवि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं155 0/ 2021धारा -379/411/420//467/468 IPC थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
8. मु0अ0सं480 0/ 2021धारा -457/380/411 भा0द0वि0 थाना घोसी जनपद मऊ
9. मु0अ0सं401 0/ 2021धारा -380/411 भा0द0वि0 थाना कोपागंज जनपद मऊ
10. मु0अ0सं411 0/ 2021धारा -4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ
11. मु0अ0सं558 0/ 2021धारा3 -(1) यू0पी 0गैगेस्टर एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ
12. मु0अ0सं101 0/ 2023धारा3 -(1) यू0पी 0गैगेस्टर एक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ
13. मु0अ0सं137 0/ 2022धारा -147/1488/307/323 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ
14. मु0अ0सं172 0/ 2022धारा -3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ
15. मु0अ0सं599 0/ 2022धारा307 -/394/120बी/411IPC थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ
16. मु0अ0सं610 0/ 2022धारा -307 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

17.मु0अ0सं658 0/ 2022धारा -3/25 आर्म्सएक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ
18.मु0अ0सं 11282021 0धारा -402 भादवि थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
19.मु0अ0सं184 0/ 2023धारा -395/412/120बी/216ए IPC थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
20.मु0अ0सं196 0/ 2023धारा -419/420/411/413/473 IPC थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
21.मु0अ0सं200 0/ 2023धारा -307/504 IPC व 3/25A. ACT थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
22.मु0अ0सं161 0/ 2023धारा -379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ
23.मु0अ0सं357 0/ 2023धारा -3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
24.मु0अ0सं175 0/ 2023धारा -120-B, 307, 506 भादवि थाना फूलपुर जनपद गोमती कमिश्नरेट वाराणसी
25.मु0अ0सं124 0/ 2025धारा -103(1)/3(5)/61(2)BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. दयाराम पुत्र जानकी प्रसाद निवासी रामपुर कला थाना कोतवाली टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर

1. मु0अ0सं267 0/ 2026धारा -319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं267 0/ 2026धारा -319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक 15.06.2026
थाना कोतवाली, जनपद- आजमगढ़

• सोशल मीडिया पर दबंगई और गैंग संस्कृति का प्रदर्शन करने वालों पर कोतवाली पुलिस की सख्त कार्रवाई, *"ऑपरेशन वज्रपात"* के तहत क्रेटा कार सीज।

• चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले युवक की पहचान, निरोधात्मक कार्रवाई जारी।

• आमजन में भय एवं असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करने वालों को पुलिस की कड़ी चेतावनी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा **"ऑपरेशन वज्रपात"** के क्रम में क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति एवं दबंगई के प्रदर्शन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

➡️ अभियान के दौरान सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति काले रंग की चलती हुई क्रेटा कार के सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहा था। उक्त कृत्य से आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने तथा यातायात सुरक्षा को खतरा पहुंचने की संभावना पाई गई।

➡️ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की जांच कर वाहन *क्रेटा कार* एवं उसमें दिखाई देने वाले व्यक्ति की पहचान की गई।

➡ जांच में उक्त व्यक्ति की पहचान *अविनाश सिंह उर्फ बंटी सिंह पुत्र भानू प्रताप सिंह निवासी हरखपुरा खास थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़* के रूप में हुई।

➡ आज दिनांक 15.06.2026 को ***ऑपरेशन वज्रपात के तहत उक्त क्रेटा कार को नियमानुसार सीज*** कर दिया गया तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है।

➡ जांच के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व से विभिन्न आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नवत है—

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 58/2023 धारा 420/364ए/120बी भादवि, थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 59/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 273/2023 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

➡ आजमगढ़ पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, दबंगई अथवा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।